

प्रेषक

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)

मेरठ मण्डल मेरठ

सेवा में

प्रबन्धक

सन राईज पब्लिक जूनियर हाई स्कूल,
स्टेडियम रोड, टांडा बुलन्दशहर।

पत्रांक सं०: शि०स०/2667-71 /2007-08 दिनांक 29-11-07

विषय— जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 23-11-2007 में लिये गये निर्णयानुसार राजाजा संख्या 646/15-6-97-18 एस (7) 89/शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धी के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध—

- 1) विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्तें पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता में परिवर्तित नहीं करा ली जाती।
- 2) प्रबन्धाधिकरण को आपन कर्मचारियों और शिक्षकों को 'मिनिमम वेजजारेक्ट' के तहत चक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा।
- 3) विद्यालय में छात्रों के चरित्र निर्माण से सम्बंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्रति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये।
- 4) समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये।
- 5) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समस्त निधियों को लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। भवन शुल्क/कैपिटेशन फीस के रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा।
- 6) मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान महगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान आर्हता वाले शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे।
- 7) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सेवशन न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा।
- 8) विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुरस्कारों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- 9) विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म तथा जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा।
- 10) विद्यालय में समस्त शिक्षक/अध्यापकों की नियुक्ति की जाये

- 11) विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।
- 12) विभागीय आदेशों का पालन किया जाये।
- 13) विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए।
- 14) विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।
- 15) विभागीय आदेशों/नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।
- 16) जिन विद्यालयों के शिक्षण कक्ष छोटे हैं वह 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करने हुए छात्रों को बैठाये तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप 20x25 की माप के कक्षों का निर्माण कराये।

भवदीय,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ

पू0सं0 शि0सं0/

/ 2007-08

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ.प्र. इलाहाबाद।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र., इलाहाबाद।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दाहर।
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दाहर।
5. शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका नगर क्षेत्र, बुलन्दाहर।
6. क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दाहर।

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ

Manager

Sunrise Educational Society

Andhra Pradesh, India

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बुलन्दशहर।

प्रेष्य,

प्रबन्धक सनराइज पब्लिक स्कूल - 2151

बुलन्दशहर
जिला बुलन्दशहर

पत्रांक/शि0स0/मान्यता/13573-74

/2013-14 दिनांक - 31/12/13

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 22/7/13 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं सनराइज पब्लिक स्कूल - 2151 बुलन्दशहर जिला बुलन्दशहर को तारीख 01.07.2014 से तारीख 30.06.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 01 से कक्षा 05 तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 22/12/13 के प्रस्ताव संख्या 06 में व्यक्त सहमति के आधार पर अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्वधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 05 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

Manager

Sunrise Public School
Stadium Road, BSR.

Sunrise Public School

5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्षीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :
 - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्षीन नहीं किया जाएगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे;
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और;
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर

कुल निर्मित क्षेत्र 200 वर्ग मीटर

क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल 2

कक्षाओं की संख्या 07

प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्ष 5

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय 5

पेयजल सुविधा 5

मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई ✕

बाधारहित पहुंच - ६

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता ६

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड, अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक ~~410210-01~~ है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संस्कार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर

पृ०स०/शि०स०/

/2013-14 तददिनांक -

प्रतिलिपि-

1. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड/नगर क्षेत्र
2. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

बुलन्दशहर

Manager
Sunrise Public School
Stadium Road, BSR.

Sunrise Public School
Bulandshahr (U.P.)



॥ विद्या यागेन रक्ष्यते ॥

भारतीय शिक्षा बोर्ड (BSB)

(A National Board for School Education)

Ref No: BSB/AFF/099/UP/2026

Dated: 31.01.2026

The Manager,
Sunrise Public School
Stadium Road, Tanda
District: Bulandshahr
Uttar Pradesh - 203001
Mob: 8384892117

E-mail.: sunrisepublicschoolbsr2004@gmail.com

SUBJECT: Affiliation to Sunrise Public School, Bulandshahr, Uttar Pradesh up to Secondary Level (up to 12th) in Fresh Category by Bhartiya Shiksha Board

This is in reference to the school's application on the subject cited above. Following an internal scrutiny and inspection, we are pleased to inform you that the board is granting Affiliation to Sunrise Public School, Bulandshahr, Uttar Pradesh in ' Fresh Category' with the specifications given below.

Affiliation No. used as User ID for both OASIS and LOC/Registration System	<u>UPOF25120116</u>
School Code	099
Category and Affiliation up to	Fresh, Secondary up to Class 12 th
Approved Section	IX & X – one for each class XI & XII – one for each class
Year and Month from which admission can be taken in class – IX & XI	From Academic Session 2026-2027
Year and Month in which first batch of class – X & XII will appear in board examinations	March 2028
Subjects Allowed for IX & X	English language and literature, Hindi –Course A, Sanskrit Course-A, Urdu, Mathematics OR Home Science(Only for Girls), Science, Social Science, Hindustani Music(Vocal), Painting, Hindustani Music(Melodic Instruments), Home Science, Painting, Art Education, Health & Physical Education, Work Experience, Linguistic Competency of Sanskrit in relation to other Language.
Subjects Allowed for XI & XII	English Core, Hindi(Core), History, Political Science, Geography, Economics, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Physical Education(Elective), Business Studies, Accountancy, Yoga, Artificial Intelligence Assistant, Work Experience, Health & Physical Education, General Studies, Linguistic Competency of Sanskrit in relation to other Language.

Note: The Board has collaborated with NIELIT in developing the aligned certificate course on computer concepts(CCC) or 'O' Level IT course at secondary level(up to 12th). The examination of these certificate courses will be conducted by NIELIT, however certificate of these courses will be jointly issued by NIELIT and Bhartiya Shiksha Board.

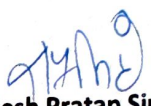
Patanjali University Campus, Patanjali Yogpeeth, Phase-1, Haridwar-Delhi National Highway,
Bahadrad, Haridwar, Uttarakhand-249405

Website : www.bsb.org.in, Email : secretary@bsb.org.in, Phone : +91-9868122209

The above is subject to fulfillment of the following conditions: -

1. The Affiliation is based upon the documents / data/ information uploaded/submitted by the school offline. The school will be responsible for its genuineness. In case of any discrepancies, necessary action will be initiated against the school as per Affiliation Bye -Laws of BSB.
2. The school will follow the RTE Act, 2009 and NCTE and the Rules made thereunder and the instructions issued thereon by the respective State /UT Govt. and the BSB from time to time. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned/DIOS/equivalent official.
3. The school should ensure good governance and management of its activities in way of comprehensive and quantifiable planning in way of curriculum planning, infrastructure, resources, physical education, staff development and other activities.
4. The school should follow all the provisions contained in the Affiliation Bye-Laws of Bhartiya Shiksha Board and also create a School Email ID for further communication. Also, school should create its own school website for displaying all the information required as per BSB norms.
5. The school should go through the syllabus - text books, Affiliation Bye-Laws, Examination Bye-Laws and subsequent amendment(s) as well as circular(s) and guideline(s) / instruction (s) issued by the Board from time to time and keep a copy thereof for reference. The school is also advised to regularly visit BSB website, i.e., www.bsb.org.in.
6. The school must renew mandatory certificates from time to time.
7. The school must install CCTV cameras in all areas of the premises and ensure their continuous monitoring on a regular basis.
8. The school shall solely be responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity /activity related to running of school affiliated to BSB. All legal expenses incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances, shall be borne by the school.
9. The school shall possess a valid Fire certificate, Safe drinking water certificate and a Building safety certificate during the functioning of the school which shall be renewed from time to time as per norms by the state and central government.
10. In accordance with the latest directives/guidelines issued by the Ministry of Education, Govt. of India, the school is solely accountable for the safety and security measures. (https://dse.education.gov.in/sites/default/files/guidelines/guideline_sss.pdf)
11. The school shall create a separate email id for the Examinations in coordination with the Controller of Examination, BSB.
12. Service conditions, pay and allowance and other benefits to the employees of the school shall be in no way less than that of corresponding employees working in Government Schools of the State in which the school is located. An undertaking to this effect must be sent to BSB.
13. The school will also ensure health and hygiene of the children as well as all concerned as per the requirement of central / state / Bhartiya Shiksha Board.
14. The school and its records should be open for inspection by an officer/official of the Board or an authorized representative of the Board/State Educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the Board/State Government from time to time.
15. The tuition fee and other fees charged should be commensurate with the state norms.
16. The admission to the school should be open to all without any discrimination on the ground of religion, cast or race, place of birth or any of them.
17. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the same name of school.

18. The school will not sponsor candidates for Board's examination of any other School/Branch, which is not affiliated to BSB.
19. The school will create Reserved Fund as per the requirement of the Affiliation Bye Laws/Rules of the Directorate of Education, Uttar Pradesh in the joint names.
20. The school shall run classes according to the approved sections that must consist of maximum @40 (forty) students. If there is any requirement of increasing the number of sections, the school will seek permission from BSB as per the applicable format and fees prescribed in Affiliation Bye-Laws of Bhartiya Shiksha Board students as per clause no. 4.8 of chapter no. 4 mentioned in Affiliation Bye-Laws of Bhartiya Shiksha Board.
21. The school will follow the new curriculum and scheme of studies provided by the Board after the implementation of NCF 2023.
22. The school shall prescribed the text books prepared by the Bhartiya Shiksha Board in all the classes(from Balvatika onwards) and the subjects if the school has been granted Affiliation for class 9 to 10/class 11 to 12 and class 9 to 12.
23. The school is not allowed to run dual affiliation in the same school building and premises.
24. Annual fee will be applicable as per norms/Affiliation Bye-laws of BSB.


(Rajesh Pratap Singh)
I.P.S. (Retd.)
SECRETARY, BSB

CC to:

1. State Authority – Addl. CS/ Principal Secretary/ Secretary, Education dept., Govt. of Uttar Pradesh
2. District Inspector of Schools - Concerned District
3. Advisor, Finance and Legal, BSB
4. Controller of Examination, BSB,
5. Director- Academics, BSB,
6. Director-Training, BSB
7. Advisor, Affiliation, BSB,
8. Assistant Manager, IT, BSB
9. All concerns, BSB
10. Copy for Guard File
11. Copy for Notice Board


(Rajesh Pratap Singh)
I.P.S. (Retd.)
SECRETARY, BSB